पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक 626 /अका./का.प./2007 रायपुर, दिनांक 22-11-2007
3/12/07

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 22-11-2007 को पूर्वान्ह् 11.00 बजे कुलपति कक्ष में आयोजित की गई। इस बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित रहे :-

01.	डॉ. लक्ष्मण चतुर्वेदी, कुलपति	अध्यक्ष
02.	डॉ. अवध राम चन्द्राकर, कुलाधिसचिव	सदस्य
03.	डॉ. एस. के. मिश्र	सदस्य
04.	डॉ. (श्रीमती) उषा दुबे	सदस्य
05.	डॉ. बी. एन. शर्मा	सदस्य
06.	प्रो. (श्रीमती) जय लक्ष्मी ठाकुर	सदस्य
07.	डॉ. शलभ कुमार तिवारी	सदस्य
08.	डॉ. एस. जे. केकरे	सदस्य
09.	प्रो. आर. के. गुप्ता	सदस्य
10.	डॉ. (श्रीमती) इंदु अनंत, कुलसचिव	सचिव

बैठक में उच्च शिक्षा सचिव के प्रतिनिधि श्री सतीष पांडे, स्वामी निखिलानंद एवं श्री राहुल महावर अनुपस्थित रहे।

कार्यवृत्त

बैठक में सर्वसम्मति से निम्नलिखित निर्णय लिये गये :-

01. कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 06-10-2007 के पद क्रमांक–3 पर डॉ. परवेज़ के विरूद्ध दैनिक हरिभूमि में प्रकाशित समाचार पर सेवानिवृत्त न्यायाधीश श्री एस.के.तिवारी का नाम जोडकर पढ़ा जाये। पद क्रमांक–7 के निर्णय में मासिक शब्द विलोपित कर पढ़ा जाये। दिनांक 24-10-2007 के पद क्रमांक–17 पर लिये गये निर्णय को दिनांक 03-11-2007 की कार्यपरिषद् की आपात बैठक में लिये गये निर्णय के परिप्रेक्ष्य में निरस्त कर गोल्ड मैडल निर्माण संबंधी पूर्व वर्ष के निर्णय को यथावत् रखने का सर्वसम्मति से लिया गया निर्णय पढ़ा जाए। पद क्रमांक–6 के संबंध में सौंपे गये कार्यों को पूर्ण करने तक पैकेज मानदेय पर कार्य लेने की स्वीकृति दी गई। पैकेज के निर्धारण के लिए कुलपति जी को अधिकृत किया गया। विश्वविद्यालय में अधिकारी न होने से विभिन्न विभागों के कार्य प्रभावित हो रहे हैं इसे देखते हुए शासन को पुनः पत्र लिखा जाए। श्री दिवाकरण को पैकेज मानदेय पर कार्य लिये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई। पैकेज निर्धारण के लिए कुलपति जी को अधिकृत किया गया।

Desktop\ Tikaram G.E.C Meeting Minutes-22-11-2007Diwan Putkat.doc)

12

02. विद्यापरिषद् की बैठक दिनांक 05-10-2007 की कार्यवृत्त को अनुमोदन प्रदान करना।

निर्णय :- अनुमोदित किया गया।

03. विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 27-10-2007 एवं 20-11-2007 के कार्यवृत्त का अनुमोदन प्रदान करना।

निर्णय :- अनुमोदित किया गया।

04. महर्षि पातंजलि शिक्षण समिति द्वारा संचालित भिलाई कॉलेज ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी, नेहरू नगर चौक, भिलाई को दिए गए कारण बताओ नोटिस के उत्तर पर विचार करना।

निर्णय :- विधिक सलाह लेकर तद्नुसार कार्रवाई की जाए।

05. छत्तीसगढ़ वाणिज्य एवं विज्ञान महाविद्यालय (महिला महाविद्यालय, सेक्टर–6 भिलाई) के पत्र क्रमांक–355/ESSET/07 दिनांक 28-05-2007 पर विचार करना।

निर्णय :- विधिक सलाह लेकर कार्रवाई की जाए।

06. विवेकानंद महाविद्यालय, मौदहापारा, रायपुर द्वारा परिनियम क्रमांक–28 के अंतर्गत नियुक्तियां न किये जाने के प्रकरण में विचार करना।

निर्णय :- विधिक सलाह लेकर कडी कार्रवाई की जाए और महाविद्यालय के प्रथम वर्ष के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया जाए।

07. B.I.T. दुर्ग की छात्रा कु. इंदु देवांगन, बी.ई.सप्तम सेमेस्टर (आई.टी.ब्रान्च) Roll. No. 508366 नामांकन क्रमांक 00/ 30853 जनवरी–2007 की मुख्य परीक्षा, जनरल प्रोफिसियेन्सी विषय के सेशनल अंक 39 के स्थान पर 19 टंकण त्रुटि पर विचार करना।

निर्णय :- ऐसे समान प्रकरणों मे पूर्व के निर्णयानुसार प्रस्ताव अमान्य किया गया।

08. बिना सह–शोध निर्देशक के विश्वविद्यालय में परीक्षण हेतु प्रस्तुत शोध–ग्रंथो के प्रकरण पर विचार करना।

निर्णय :- जिन शोध–छात्रों के शोध पंजीयन की अवधि दो साल हो चुकी है, उनके प्रकरण पर दिनांक **27-09-2007** की विद्या परिषद् की स्थायी समिति की बैठक में निर्णय लिया जा चुका है और एक समय की छूट प्रदान की जा चुकी है। ऐसे प्रकरण कार्यपरिषद् के समक्ष नहीं प्रस्तुत किये जाने थे। पूर्व निर्णयानुसार कार्रवाइ की जाए। जिनका शोध–पंजीयन, दो वर्ष नहीं हुआ है उन्हें सह–निर्देशक के लिए पत्र लिखा जाए।

Desktop\ Tikaram G\E.C.Meeting\Minutes-22-11-2007Diwan Pulkit.doc

यह भी निर्णय लिया गया कि शोध–निर्देशकों एवं मान्यता प्राप्त शोध–केन्द्रों की सूची तैयार कर सभी महाविद्यालयों/अध्ययनशालाओं एवम् अन्य संबंधित विभागों को उपलब्ध करा दिया जाए। कुलाधिसचिव महोदय विश्वविद्यालय की website में उपलब्ध कराने की व्यवस्था करेंगे।

09. विलंब से प्राप्त प्रोजेक्ट रिपोर्ट स्वीकार करने के संबंध में विचार करना।

निर्णय :- विश्वविद्यालय के बस्तर परिसर स्थित स्नातकोत्तर अंतिम की कक्षाओं के विलंब से प्राप्त प्रोजेक्ट रिपोर्ट स्वीकार करनें, मूल्यांकन कर परिणाम घोषित किये जाने की सूचना ग्रहण की गई। यह भी निर्णय लिया गया कि समन्व्यक को लापरवाही के लिए कडी चेतावनी दी जाए।

10. एम.ए. अंतिम अंग्रेजी के लघुशोध प्रबंध स्वीकार किये जाने पर विचार करना।

निर्णय :- शासकीय कला एवं विज्ञान महाविद्यालय, बेमेतरा के छात्र. श्री भुवन लाल साहू द्वारा दिनांक 20-08-2007 को जमा किया गया प्रोजेक्ट रिपोर्ट स्वीकार कर मूल्यांकन कराया जाए एवं परिणाम वर्ष–2008 में घोषित किये जाऐं।

11. डॉ. (श्रीमती) बीना पाठक, रीडर, प्रौढ़ सतत् शिक्षा के मल्टीपल नायलोमा (कैंसर) की चिकित्सा प्रतिपूर्ति के भुगतान पर विचार करना।

निर्णय :- पात्रतानुसार भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गई।

12. श्री राजेन्द्र औसर, उ.व.लि. वर्ग–2 के घुटने के लिंगामेंट ऑपरेशन हेतु चिकित्सा प्रतिपूर्ति पर विचार करना।

निर्णय :- निर्णय लिया गया कि इन्हें प्रतिपूर्ति की पात्रता नहीं है। और यदि ये चाहें तो विश्वविद्यालय से इस हेतु ऋण की स्वीकृति प्रदान की गई।

13. श्री एन.के.व्यास, अधिवक्ता को विधिक सलाहकार नियुक्त करने पर विचार करना।

निर्णय :- अनुमोदन प्रदान किया गया। यह भी निर्णय लिया गया कि वकीलों का एक पैनल बनाया जाए जिन्हें उनकी विशेषज्ञता के अनुसार प्रकरण न्यायालयों में लडने के लिए प्रदान किये जाऐं। वकीलों का पैनल आगामी कार्यपरिषद् में प्रस्तुत किया जाए। यह भी निर्णय लिया गया कि अब तक जिन वकीलों नें विश्वविद्यालय का केस न्यायालयों में लडे हैं उनमें कितने हारे एवं कितने जीते हैं। प्रत्येक वकील के नाम के सामने हारे/जीते प्रकरणों की सूची आगामी कार्यपरिषद् में प्रस्तुत किये जाऐं।

श्री जी.एस.अग्रवाल एण्ड कम्पनी, चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस्, को वित्तीय मामले में सलाहकार नियुक्त किया गया।

Desktop\Tikaram G E C Meeting\Minutes\22-11-2007Dewan Pulkit.doc 1

14. निम्नलिखित अध्ययनशालाओं / छात्रावासों / प्रकोष्ठों के इम्प्रेस्ट की राशि के वृद्धि के प्रकरण पर विचार करना।

निर्णय :- निर्णय लिया गया कि निम्नलिखित विभागों के इम्प्रेस्ट में निम्नानुसार वृद्धि किया जाए:-

01.	भूगोल अध्ययनशाला	Rs. 3,000=00 से बढ़ाकर	Rs. 5,000=00
02.	इलेक्ट्रॉनिक्स अध्ययनशाला	Rs. 3,000=00 से बढ़ाकर	Rs. 5,000=00
03.	भौतिकी अध्ययनशाला	Rs. 3,000=00 से बढ़ाकर	Rs. 10,000=00
04.	महिला छात्रावास	Rs. 1,000=00 से बढ़ाकर	Rs. 5,000=00
05.	एस.सी. / एस.टी प्रकोष्ठ	प्रथम बार	Rs. 2,000=00
06.	शारीरिक शिक्षा अध्ययनशाला	Rs. 1,000=00 से बढ़ाकर	Rs. 5,000=00
07.	सांख्यिकी अध्ययनशाला	Rs. 1,500=00 से बढ़ाकर	Rs. 5,000=00
08.	परीक्षा विभाग	Rs. 3,000=00 से बढ़ाकर	Rs. 10,000=00
09.	गणित अध्ययनशाला	Rs. 1,500=00 से बढ़ाकर	Rs. 3,000=00
10.	कम्प्यूटर केन्द्र (गोपनीय)	Rs. 3,000=00 से बढ़ाकर	Rs. 6,000=00

15. विदेशी शोध पत्रिकाओं के क्रय हेतु प्रशासनिक एवं भुगतान स्वीकृति पर विचार करना।

निर्णय :- विदेशी शोध–पत्रिकाओं के क्रय हेतु Rs. 13,76,543=00 की स्वीकृति प्रदान की गई।

16. व्यक्तिगत ऋण की राशि Rs. 50,000=00 से बढ़ाकर Rs. 1,00,000=00 करने पर विचार करना।

निर्णय :- कर्मचारियों को दिये जाने वाले विभिन्न ऋणों एवं सुविधाओं की नियमावली के साथ प्रकरण आगामी कार्यपरिषद् में प्रस्तुत किया जाए।

17. भवन–निर्माण समिति की बैठक दिनांक 17-10-2007 के कार्यवृत्त एवं बस्तर परिसर प्रशासनिक भवन–निर्माण के देयक भुगतान की स्वीकृति प्रदान करने पर विचार करना।

निर्णय :- अनुमोदित किया गया।

18. निम्नलिखित महाविद्यालयों में प्राचार्य पद पर नियुक्ति हेतु चयन–समिति अनुशंसा पर विचार करना।

निर्णय :- निम्नलिखित महाविद्यालयों में चयन–समिति द्वारा प्राचार्य पद पर वेतनमान Rs. 12,000=00 to Rs. 18,000=00 नियुक्ति हेतु की गई अनुशंसा का अनुमोदन किया गया :-

क्र.	महाविद्यालय का नाम	अनुमोदित प्रत्याशी का नाम
01.	मां बहादुर कलारिन महा., गुरूर	डॉ. कुबेर सिंह गुरूपंच
02.	मदर टेरेसा कॉलेज ऑफ नर्सिंग, कुम्हारी	श्रीमती उमा शेन्डे

Desktop\Tikaram GVE C Meeting\Minutes 22-11-2007Dewan Pulkit.doc)

03.	अग्रसेन महाविद्यालय, रायपुर	डॉ. देवेश शर्मा

निम्नलिखित महाविद्यालयों के लिए चयन–समिति नें किसी भी अभ्यर्थी को योग्य नहीं पाया और पद पुनः विज्ञापित करने की अनुशंसा का अनुमोदन किया गया।

01. श्री सांई महाविद्यालय, भिलाई
02. एलीगेंट कॉलेज, राजनांदगांव
03. रावतपुरा सरकार इंस्टीट्यूट, कुम्हारी
04. एम.जे.कॉलेज, भिलाई

अध्यक्ष के प्रति धन्यवाद के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

कुलपति
अध्यक्ष

कुलसचिव
सचिव

पृष्ठां. कमांक 627 / अका. / का.प. / 2007 रायपुर, दिनांक 22-11-2007 3/12/07

प्रतिलिपि :-

01. महामहिम कुलाधिपति के सचिव, छत्तीसगढ़, राजभवन, रायपुर, छत्तीसगढ़
02. कार्यपरिषद के समस्त सदस्यों को इस निवेदन के साथ कि यदि कार्यवृत्त में कोई त्रुटि हो तो इसकी जानकारी कार्यवृत्त जारी होने की तिथि से 15 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता को सूचित करने का कष्ट करें।
03. जनसंपर्क अधिकारी / अधिष्ठाता, छात्र–कल्याण
04. वित्ताधिकारी / आवासीय अंकेक्षण
05. कुलपति के सचिव / कुलसचिव के निजी सहायक, पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ अग्रेषित ।

सहायक कुलसचिव (अका.)